लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदन

अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, देहरादून के माह 07/2015 से 07/2016 तक के लेखा अभिलेखों पर आधारित लेखापरीक्षा सर्व श्री भीम सेन सिंह, एवं श्री मनोज खंडुड़ी सहायक लेखापरीक्षा अधिकारियों एवं श्री अक्षय रूडोला, लेखापरीक्षक द्वारा दिनांक 20/08/2016 से 01/09/2016 तक श्री दिनेश रमोला, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पूर्णकालिक पर्यवेक्षण दिनांक 20/08/2016 से 01/09/2016 तक नियंत्रक महालेखापरीक्षक (कर्तव्य शक्तियां तथा सेवा शर्तें) अधिनियम की धारा 13 के अंतर्गत संपादित लेखापरीक्षा का निरीक्षण प्रतिवेदन।

निरीक्षण आख्या **नलकूप खण्ड, देहरादून** द्वारा उपलब्ध करायी गई सूचना के आधार पर तैयार की गयी है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी भी त्रुटिपूर्ण सूचना अथवा अप्राप्त सूचना के लिए कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा), उत्तराखण्ड, देहारादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

भाग-प्रथम

प्रस्तावना:-

इस खण्ड की विगत लेखापरीक्षा सर्व श्री राजेश कुमार सिन्हा, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी, मनोज कुमार सिंह, पर्यवेक्षक एवं सौरभ कुमार सिंह, लेखा परीक्षक द्वारा दिनांक 27/07/2015 से 07/08/2015 तक श्री वी. एस. पँवार, वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 27/07/2015 से 07/08/2015 तक में सम्पन्न हुई थी जिसमे खण्ड के माह 05/2013 से 06/2015 तक के लेखाभिलेखों की जांच की गयी थी।
वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 07/2015 से 07/2016 तक के लेखाभिलेखों की समान्यतया जांच की गयी।

2. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित अधिशासी अभियन्ताओं ने खण्ड का कार्यभार संभाले रखा।

1- श्री ब्रह्मपाल सिंह पँवार 26.04.2014 से वर्तमान तक

3. विगत लेखापरीक्षा से अब तक निम्नलिखित खण्डीय लेखाधिकारी खण्ड से संबद्ध रहे:-

1- श्री रवीद्र सिंह बिष्ट - 21.07.2014 से वर्तमान तक

4. अधीक्षण अभियंता द्वारा विगत लेखापरीक्षा के पश्चात दिनांक 11.05.2016 से 16.05.2016 तक खण्ड का निरीक्षण नहीं किया गया।

5- खण्ड के भण्डार लेखों की अर्द्धवार्षिक लेखाबन्दी तथा यंत्र संयंत्र लेखों की वार्षिक लेखाबन्दी क्रमश: माह 03/2013 एवं माह 09/2013 तक की गई।

6- फार्म 51: माह 05/2016 तक कार्यालय महालेखाकर (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड देहरादून को प्रेषित किया जा चुका है जिसके भाग प्रथम एवं द्वितीय के अवशेष निम्नवत हैं:-

भाग प्रथम ` 224522.25
भाग द्वितीय ` (-) 1603242.71
खण्ड के उचन्त लेखों के अवशेष माह 07/2016 के अन्त में
(क) प्रकीर्ण निर्माण अग्रिम ` 4086100.75
(ख) सामग्री क्रय परिशोधन शून्य
(ग) नकद परिशोधन ` 8585201.75
(घ) निक्षेप ` 21382053.00
(ड) भण्डार ` 24063887.00

7- पुरानी लेखापरीक्षा निरीक्षण प्रतिवेदनों की अनिस्तारित कण्डिकाओं की स्थिति मिम्नवत थी:-

dze la[;k	ys[kkijh{kk fujh{k.k izfrosnu la0@o"kZ	vfuLrkfjr izLrj	
		Hkkx&nks ^v*	Hkkx&nks ^c*
1.	06/2001-02	2	-

2.	81/2005-06	1, 2	-
3.	64/2007-08	1, 2, 3	-
4.	73/2010-11	1	1
5.	80/2011-12	-	1
6.	11/2013-14	-	1
7.	43/2015-16	-	1, 2, 3

9. अप्रस्तुत अभिलेख:- माप पुस्तिका संख्या 507L।

10. सतत अनियमिततायेँ:- शून्य

11. गत तीन वर्षों में प्राप्त बजट आवंटन एवं व्यय की स्थिति

dze la[;k	o"kZ	eq[; ys[kk'kh"kZ	dqy vkoaVu ¼` yk[k esa½	dqy O;; ¼` yk[k esa½
1-	2013-14	2702	4083.39	4084.07
		4700	1527.92	1528.08
2-	2014-15	2702	4071.50	4033.36
		4700	2379.42	2378.18
3-	2015-16	2702	3789.59	3789.55
		4700	939.12	928.58
4-	2016-17 (upto 07/2016)	2702	1409.33	20.83
		4700	28.67	27.99

भाग-2(ब)

प्रस्तर:1 `45.55 लाख की निष्प्रयोज्य सामग्री का निस्तारण न किया जाना।

निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी शीघ्रातिशीघ्र की जानी चाहिए ताकि सामग्री के अवमूल्यन की संभावना से बचा जा सके।

अधिशासी अभियंता (अ.अ.), नलकूप खण्ड, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2016) में पाया गया कि खण्ड के भण्डार में माह 03/2010 से निष्प्रयोज्य (unserviceable) पड़ी सामग्री की नीलामी हेतु, अधीक्षण अभियंता को प्रस्ताव प्रेषित (फरवरी 2016) करने के अतिरिक्त कोई भी कार्यवाही नहीं की गई थी। खण्ड के भण्डार मे निष्प्रयोज्य पड़ी हुई सामग्री का विवरण निम्नवत था-

क्र॰ सं॰	सामग्री का नाम	सामग्री की मात्रा (किग्रा.)	नीलामी हेतु प्रस्तावित मूल्य
1	जला हुआ पी॰वी॰सी॰ फ्लैट केबिल मय पी॰वी॰सी॰ इन्स्युलेशन	1816.00	368648.00
2	जला हुआ पी॰वी॰सी॰ रिवाईंडिंग वायर मय	18011.00	4088497.00

	पी॰वी॰सी॰ इन्स्युलेशन		
3	आयरन स्क्रैप	6040.00	97848.00
		योग	**455499300.**

इसप्रकार, विभाग द्वारा नीलामी की समयोचित कार्यवाही नहीं किए जाने के कारण अत्यधिक मात्रा मे भारी मूल्य की निष्प्रयोज्य सामग्री भण्डार मे अनिस्तारित पड़ी हुई थी। जिसके कारण सामग्री के भण्डार मे निरर्थक पड़े रहने से स्थान एवं श्रम का भी दुरुपयोग हो रहा था।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि उच्चाधिकारियों को निष्प्रयोज्य की नीलामी हेतु पत्राचार किया जाता रहा है, परंतु स्वीकृति आपेक्षित है। खण्ड का उत्तर लेखापरीक्षा में मान्य नहीं था क्योंकि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराये गए अभिलेखों के अनुसार खण्डीय स्तर से विगत 06 वर्षों में केवल फरबरी 2016 में ही उच्चाधिकारी को पत्र प्रेषित किया गया था। इसके अतिरिक्त निष्प्रयोज्य सामग्री की नीलामी न किए जाने के कारण उनके अवमूल्यन की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता है।

अतः भण्डार में ` **45.55** लाख की निष्प्रयोज्य सामग्री का निस्तारण न किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:2 `51.36 लाख की धनराशि को व्यपगत निक्षेप के रूप में शासकीय राजस्व खाते में जमा न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-6 के प्रस्तर 622(III) में निहित प्रावधान के अनुसार तीन पूर्ण लेखा वर्ष से अधिक समायावधि की अदावित (unclaimed) धनराशि को व्यपगत निक्षेप के रूप में शासकीय राजस्व खाते मे डाल दी जानी चाहिए।

अधिशासी अभियंता (अ.अ.), नलकूप खण्ड, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2016) में पाया गया कि निक्षेप पंजिका के भाग-दो में विगत तीन से लेकर 19 वर्षों एवं भाग चार में विगत तीन से लेकर 07 वर्षों तक की अवधि की कुल ` 51.36 लाख की अदावित धनराशि ठेकेदारों की जमानत जमा एवं अतिरिक्त निक्षेप के रूप में पड़ी थी। जिसका दावा ठेकेदारों द्वारा लेखापरीक्षा तिथि तक नहीं किया गया था। वित्तीय हस्त पुस्तिका में निहित प्रावधान के अनुसार उक्त धनराशि व्यपगत निक्षेप के रूप में शासकीय राजस्व खाते मे डाल दी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा उत्तर दिया गया कि उक्त मदों के समायोजन की कार्यवाही की जा रही है। खण्डीय उत्तर से लेखापरीक्षा के तथ्यों की पुष्टि होती है।

अतः ` 51.36 लाख की धनराशि को व्यपगत निक्षेप के रूप में शासकीय राजस्व खाते में जमा न करने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

भाग-2(ब)

प्रस्तर:3 ` 1.79 करोड़ की विभागीय प्राप्तियों को शासकीय राजस्व खाते में जमा न किया जाना।

वित्तीय हस्त पुस्तिका भाग-V खंड-I के प्रस्तर 21 एवं उत्तराखंड बजट मैनुअल के अध्याय 9 के प्रस्तर 81 एवं 82(iii) में निहित प्रावधान के अनुसार विभागीय प्राधिकारी द्वारा यह देखा जाना चाहिए कि सरकार को देय सभी राजस्व प्राप्तियों को सही एवं उचित तरीके से निर्धारित कर , बिना किसी बिलंब के शासकीय खाते में डाली जाए एवं इस प्रकार की प्राप्तियां सरकार से प्राधिकरण प्राप्त किए बिना विभागीय व्यय के रूप में उपयोग न की जाए।

अधिशासी अभियंता (अ.अ.), नलकूप खण्ड, देहरादून के अभिलेखों की नमूना जांच (अगस्त 2016) में पाया गया कि खण्ड द्वारा वर्ष 2014-15 एवं वर्ष 2015-16 में सींच कर के रूप में निम्नलिखित परगनों के तहसीलदारों को सींच कर की वसूली हेतु वारन्ट प्रेषित किए गए थे।

नलकूपों/लिफ्ट स्केमों की 1422 फ़सली (01.04.2014 से 31.03.2015)				
क्र. सं.	परगना का नाम	सींच कर की धनराशि		कुल सींच कर
		खरीफ	रबी	
1	केन्द्रीय दून	723518.00	861949.00	1585467.00
2	भाबर	1726824.00	1805248.00	3532072.00
3	परबा दून	96345.00	140469.00	236814.00
4	पछवा दून	924382.00	1332341.00	2256723.00
5	डुन्डा (चिन्यालीसौड़)	2302.00	882.00	3184.00
6	रवाईं (पुरोला)	1521.00	394.00	1915.00
7	डुन्डा	1896.00	1193.00	3089.00
8	रवाईं (बड़कोट)	7100.00	1783.00	8883.00
योग (अ)		**3483888.00**	**4144259.00**	**7628147.00**

नलकूपों/लिफ्ट स्केमों की 1423 फ़सली (01.04.2015 से 31.03.2016)				
क्र. सं.	परगना का नाम	सींच कर की धनराशि		कुल सींच कर
		खरीफ	रबी	
1	केन्द्रीय दून	721395.00	920498.00	1641893.00
2	भाबर	2183304.00	2470306.00	4653610.00
3	परबा दून	102986.00	171164.00	274150.00
4	पछवा दून	1272230.00	2409524.00	3681754.00
5	डुन्डा (चिन्यालीसौड़)	1486.00	1945.00	3431.00
6	रवाईं (पुरोला)	1609.00	398.00	2007.00
7	डुन्डा	3445.00	1692.00	5137.00
8	रवाईं (बड़कोट)	7122.00	1457.00	8579.00
योग (ब)		**4293577.00**	**5976984.00**	**10270561.00**
महा योग (अ + ब)				**17898708.00**

खण्डीय स्तर से सींच कर की धनराशि ` 17898708.00 की वसूली के संदर्भ में कोई भी अभिलेख लेखापरीक्षा को उपलब्ध नही कराये गए।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर खण्ड द्वारा अवगत कराया गया कि सींच कर वसूली हेतु नियमानुसार राजस्व विभाग को प्रेषित किया गया है। जमाबंदियों की वसूली हेतु राजस्व विभाग से पत्राचार किया जा रहा है। तहसीलों में तौजी स्टेटमेंट प्राप्त होने पर वसूली की जानकारी प्राप्त होगी।

खण्ड द्वारा दिया गया उत्तर मान्य नहीं था क्योंकि खण्डीय स्तर से मात्र लेखापरीक्षा तिथि के दौरान ही एक बार पत्राचार किया गया था। इसके अतिरिक्त खण्ड द्वारा वित्तीय हस्त पुस्तिका एवं उत्तराखंड बजट मैनुअल में निहित प्रविधानों का पालन भी नहीं किया गया था।

अतः ` 1.79 करोड़ की विभागीय प्राप्तियों को शासकीय राजस्व खाते में जमा न किया जाने का प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>भाग-तीन</u>

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमिततायें जिनका स्थल पर समाधान नहीं हो सका। उनको नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित करके **अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड, देहरादून** को प्रेषित, जिसकी अनुपालन आख्या एक माह के अन्दर सीधे वरिष्ठ उपमहालेखाकार/आर्थिक खण्ड, कार्यालय महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, सी-1/105, वैभव पैलेस, इन्दिरा नगर, देहरादून को भेजना सुनिश्चित करेंगें।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/आर्थिक-II